(वाद संख्या–2871/17)

06.12.2019

परिवादी, प्रियंका सिन्हा, उपस्थित हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

परिवादी को अपनी ननद, जानकी सिन्हा, से अपने पति के पैतृक सम्पत्ति को लेकर भूमि विवाद है जिसके आलोक में परिवादी की ननद, जानकी देवी, द्वारा अपने सगे भाई, भतीजों व भाभी के विरूद्ध तीन आपराधिक मामला संस्थित किया गया है। इन तीन आपराधिक मामलों में से दो मामले (परिवाद संख्या–430C/2017 तथा 1050C/2017) पटना सिटी स्थित व्यवहार न्यायालय में लंबित है। शेष एक आपराधिक मामला (खुसरूपुर थाना कांड संख्या–129/17, दिनांक–05.07.2017) वर्त्तमान में भी अनुसंधानोपरान्त न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है।

परिवादी की ओर से अपने परिवाद–पत्र में उपरोक्त आपराधिक मामलों के मिथ्या होने का उल्लेख किया गया है।

अब, जबकि परिवादी पर जो उपरोक्त तीन आपराधिक मामले संस्थित किये गये थे, वे वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में आयोग के स्तर से उन आपराधिक मामलों पर कोई आदेश/निर्देश/विचार व्यक्त किया जाना उचित नहीं होगा।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक